



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून



अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2024-25



उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	2
2.	महत्वपूर्ण बिन्दु	3
3.	संस्तुतियां	4
4.	परिचयात्मक	5
5.	संरचना / भाग-प्रथम	6-14
6.	द्वितीय- भाग	14-15
7.	अनुलग्नक-1 से 9	16-50

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के प्रस्तर 8.54 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा प्रकाशित की जाती है। इस समीक्षा का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के लेखों के रख-रखाव में परिलक्षित महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को केन्द्रीयभूत करना है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा में पाई गई सामान्य प्रकार की अनियमितताएँ, उत्तर न दिये गई लेखा परीक्षा टिप्पणियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के ब्यौरे तथा लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के स्थानीय निरीक्षण में पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं को भी सम्मिलित किया गया है। लेखा कर्मचारियों द्वारा मासिक लेखे तैयार करने में आवश्यक लेखा नियमों तथा प्रणालियों की पर्याप्त जानकारी के अभाव में लेखा या तो पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये जाते हैं या तैयार भी किये जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता उच्च स्तरीय नहीं होती है। लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों द्वारा लेखा संधारण में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु-सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के लेखा अधिकारियों/कर्मचारियों को अनियमितताओं के प्रति सचेत करने तथा नियमानुसार कार्य सम्पादन करने की दृष्टि से मार्गदर्शन प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगा।



(मो0 परवेज आलम)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड

दिनांक: 12.12.2025

स्थान: देहरादून

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. खण्डों द्वारा मासिक लेखे ना भेजे गये अथवा विलम्ब से कार्यालय महालेखाकार को प्रस्तुत किये गये (प्रस्तर-1)।
2. खण्डों द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रपत्र-51 मासिक लेखा के साथ कार्यालय महालेखाकार को विलम्ब से प्रेषित किये गए (प्रस्तर-2)।
3. सिंचाई विभाग द्वारा जमा में प्रतिकूल अवशेष लम्बे समय से चले आ रहे हैं। प्रतिकूल जमा अवशेष के अविलम्ब निस्तारण हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-3)।
4. नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी0एस0एस0ए0) एवं सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा (एम0पी0एस0एस0ए0) के अन्तर्गत विगत कई वर्षों से राशियाँ लम्बित हैं। धनराशियों के त्वरित समायोजन हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-4, 5)।
5. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन/कपट की सम्भावना रहती है (प्रस्तर-6)।
6. विगत वर्षों में लेखे से सम्बन्धित अनेक अनियमितताओं को अवगत कराने के बावजूद भी उक्त अनियमितताएँ/ इस वर्ष भी लेखे में पायी गयी है (प्रस्तर-7)।
7. प्रकीर्ण अग्रिम से सम्बन्धित अवशेष जो विगत अनेक वर्षों से लम्बित चले आ रहे हैं, के निस्तारण हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जानी अपेक्षित है (प्रस्तर-8)।
8. लेखापरीक्षा कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुए। निरीक्षण के दौरान पायी गई महत्वपूर्ण अनियमितताएं तथा केन्द्रीय लेखापरीक्षा के दौरान मासिक लेखाओं में अन्य अनियमिततायें पायी गई (द्वितीय भाग प्रस्तर-1 एवं 2)

संस्तुतियाँ

महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखों में अभियन्त्रण खण्डों के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इस दृष्टि से खण्डों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और परिणामों से सम्बन्धित खण्डों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में खण्डों के लेखों में सुधार एवं गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा खण्डीय अधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जारी किये जाने चाहिए:-

1. मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि (जिस माह का लेखा है उसके अगले माह की 07 से 10 तारीख के मध्य) के अंतर्गत प्रस्तुत करें।
2. प्रपत्र-51 मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत करें।
3. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों में लम्बित क्रेडिट एवं डेबिट धनराशियों का समायोजन संबंधित कोषागारों से मिलान कर सुनिश्चित करें।
4. विविध लोक निर्माण अग्रिम (प्रकीर्ण अग्रिम) के रूप में लम्बित धनराशियों का निस्तारण सुनिश्चित करें तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई भी अग्रिम असमायोजित नहीं रहना चाहिए।
5. नकद परिशोधन लेखों के अन्तर्गत लम्बित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करायें।
6. सामग्री क्रय (परिशोधन) लेखों के अन्तर्गत अनिस्तारित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी किए गये निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर, जारी करने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वर्ष 2024-25 की वार्षिक समीक्षा आख्या

परिचयात्मक:-

यह समीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है। विभिन्न खण्डों के मासिक लेखों में हो रही निरन्तर व सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को इस समीक्षा आख्या में शामिल किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस समीक्षा आख्या में जो भी अनियमितताएँ कमियाँ एवं त्रुटियाँ शामिल की गयी हैं, वे विस्तृत नहीं बल्कि उदाहरण के रूप में हैं।

दिनांक 31-03-2025 को अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कुल संख्या-195 थी। विभाग वार खण्डों की संख्या निम्न है:-

क्रम संख्या	विभाग	खण्डों की संख्या
1.	लोक निर्माण विभाग	87
2.	सिंचाई विभाग	74
3.	लघु सिंचाई विभाग	13
4.	ग्रामीण निर्माण विभाग	21
योग		195

संरचना

समीक्षा आख्या दो भागों में निम्नवत तैयार की गयी है:-

प्रथम-भाग: इस भाग में खण्डों से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रारम्भिक जाँच एवं लेखों के संकलन के दौरान पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को सम्मिलित किया गया है।

द्वितीय-भाग: इस भाग में लेखापरीक्षा कार्यालय के केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं स्थानीय निरीक्षण के दौरान खण्डों के प्रारम्भिक लेखों के रख-रखाव में पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं त्रुटियों को शामिल किया गया है।

प्रथम-भाग

प्रस्तर 1: मासिक लेखों का अप्राप्त अथवा विलम्ब से भेजा जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डों के संकलित मासिक लेखे सभी प्रपत्रों सहित (केवल माह मार्च के लेखे को छोड़कर) अगले माह की 7 से 10 तारीख के मध्य एवं मार्च माह के मासिक लेखे 15 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। यह भी प्रकाश में आया है कि कतिपय खण्डीय अधिकारियों द्वारा संकलित मासिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में समय से प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। विगत पांच वर्षों में अप्राप्त अथवा विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखों का सार निम्न तालिका में दिया गया है :-

तालिका-1

वर्ष	सिंचाई विभाग	लघु सिंचाई विभाग	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड			विलम्ब से प्राप्त लेखों का योग	कुल खण्ड	विलम्ब से प्राप्त लेखों का प्रतिशत
					सिंचाई (खण्ड)	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण निर्माण विभाग			
2024-25	214	48	305	76	109	41	12	805	195	34.40
2023-24	277	88	189	55	84	72	24	789	191	34.42
2022-23	337	78	309	82	102	39	22	969	191	42.27
2021-22	378	85	381	70	103	37	12	1066	191	46.51
2020-21	262	73	473	109	68	49	07	1041	199	43.59

विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखे वर्ष 2020-21 में लगभग 43.59 प्रतिशत थे। लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 34.40 प्रतिशत मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए हैं, विगत वर्षों में विलम्ब से प्राप्त लेखों के प्रतिशत में गिरावट संतोषजनक नहीं है जो एक गंभीर विषय है जिसमें अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है।

वर्ष 2024-25 में विलम्ब से प्राप्त हुये मासिक लेखों की विभागवार एवं माहवार स्थिति अनुलग्नक-1(अ) एवं अनुलग्नक-1(ब) में दी गई है।

शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्धारित दिनांक तक मासिक लेखों का प्रस्तुतीकरण करने की प्रक्रिया को त्वरित करने की आवश्यकता है।

नोट: कोषागार द्वारा संकलित मासिक लेखे Interface के द्वारा इस कार्यालय को समय से प्राप्त हो रहे हैं।

प्रस्तर-2: मासिक लेखों के साथ प्रपत्र-51 न भेजा जाना अथवा विलम्ब से भेजे जाने के कारण ब्रॉडशीट के रख-रखाव में व्यवधान उत्पन्न होना:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डीय अधिकारी प्रपत्र-51, शैड्यूल ऑफ सेटलमेंट विद् ट्रेजरीज, कोषाधिकारी द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र एवं संकलित ट्रेजरी रसीदों सहित, मासिक लेखों के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करेंगे। खण्डों से प्राप्त उक्त प्रपत्र के आधार पर मुख्य लेखाशीर्ष-8782 की ब्राडशीट को तैयार किए जाने का कार्य महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जाता था।

अप्रैल 2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है जिसके कारण खण्डों का मुख्य लेखाशीर्ष 8782 से सम्बन्धित ब्रॉडशीट का अद्यतन नहीं किया जा सका है।

प्रस्तर-3 सिंचाई विभाग जमा में प्रतिकूल शेष:-

लेखाशीर्ष 8443-सिविल जमा, 108-लोक निर्माण जमा के अन्तर्गत कुछ खण्डों में कुल रु. **39.95 (crore)** का प्रतिकूल अवशेष है इसका कारण ऋणात्मक अवशेष वाले खण्डों के विघटन के फलस्वरूप धनात्मक अवशेष वाले खण्डों में समायोजित किया जाना है, जबकि विभाजन से पूर्व के अवशेष अभी भी बंटवारे के अधीन हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है। उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष यह अंकित करता है कि खण्डों द्वारा बाह्य एजेंसियों के कार्य सम्पादन हेतु जमा की गयी धनराशि से अधिक व्यय कर दिया गया है जो कि संहिता एवं नियम पुस्तकों में उल्लिखित प्रावधानों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल शेष इस बात को भी अंकित करता है कि शासन को देय धनराशि की वसूली बकाया है। शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रतिकूल शेष के निस्तारण हेतु नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है।

प्रस्तर-4: लेखाशीर्ष-8658 उचन्त लेखे-107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घावधि से रु. 160.06 लाख के लम्बित अवशेष :-

अभियन्त्रण विभागों में शासनादेश संख्या-ए 2-1240/दस-95-17(6)/83 दिनांक 23-05-1995 द्वारा भण्डारों एवं सामग्रियों के क्रय हेतु दिनांक 01-07-1995 से 'कैश एण्ड कैरी' पद्धति लागू की गई थी। दिनांक 01-07-1995 से पूर्व अभियन्त्रण विभागों के विभिन्न खण्डों द्वारा समय-समय पर नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी0एस0एस0ए0) में धनराशि पुस्तांकित की जाती रही है। नियमानुसार प्रतिवादी खण्ड को नकद परिशोधन उचन्त लेखा में पुस्तांकित की गई धनराशि को मूल खण्ड से लेखा प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिये था, जिससे कि उक्त शेष में कोई अवशेष अनिस्तारित न रहे। यह संज्ञान में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उक्त शेष में विभिन्न खण्डों द्वारा नकद परिशोधन उचन्त लेखे में पुस्तांकित की गई धनराशि का निस्तारण न किये जाने के फलस्वरूप अभी भी रु. 160.06 लाख के अवशेष विभिन्न खण्डों के विरुद्ध राज्य विभाजन के पूर्व से चले आ रहे हैं। ऐसे अवशेषों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी वार्षिक समीक्षा आख्याओं में इस आशय से किया गया था कि शासन स्तर पर अवशेष के निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, परन्तु अवशेष का लम्बित रहना यह दर्शाता है कि शासन स्तर पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। जिन खण्डों के विरुद्ध अवशेष हैं उनका विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

अतः शासन से अपेक्षा की जाती है कि लेखाशीर्ष 8658-उचन्त लेखे-107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे में लम्बित धनराशि जो राज्य विभाजन के पूर्व से चली आ रही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में नीति-निर्धारण कर निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें।

प्रस्तर-5: सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घ अवधि से रु. 262.99 लाख अनिस्तारित अवशेष:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-763 के प्रावधानों के अनुसार खण्डों द्वारा उचन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि की वसूली अथवा समायोजन शीघ्र किया जाना चाहिए, जिसके लिए विशेष प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं। ऐसा प्रकाश में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उचन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा (एम0पी0एस0एस0ए0) शीर्ष के अन्तर्गत जिन खण्डों के विरुद्ध रु. 262.99 लाख की राशि राज्य विभाजन के पूर्व से चली आ रही है अथवा असमायोजित पड़ी हुई है उनका खण्डवार विवरण अनुलग्नक-4 में दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त अवशेष का विवरण इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी व समीक्षा प्रतिवेदनों में किया गया था परन्तु शासन स्तर पर अवशेष के निस्तारण हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है।

राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि खण्डीय अधिकारियों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-763 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाये तथा आवश्यकता अनुरूप निस्तारण की समुचित प्रणाली विकसित की जाये।

प्रस्तर-6: लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों का समाधान न किया जाना:-

लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के समाधान हेतु, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 742 एवं 743 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग-2) के प्रस्तर 638 (ख) तथा प्रस्तर 648 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोषागारों द्वारा खण्डीय अधिकारियों को प्रत्येक लेखा अनुगामी माह की चार तारीख तक,

समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग 2) के प्रस्तर 650 के प्रावधानों के अनुरूप कोषाधिकारी द्वारा खण्डीय अधिकारियों से उनके समस्त प्रेषणों की मासिक समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस कार्यालय के अभिलेखानुसार दिनांक 31-03-2019 को प्रेषण लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अभियन्त्रण सेवाओं के विभिन्न खण्डों के अनिस्तारित नकद प्रेषण का खण्डवार विवरण अनुलग्नक-5 में दिया गया है जबकि चैकों से सम्बन्धित अनिस्तारित खण्डवार अवशेष धनराशियाँ अनुलग्नक-6 में दर्शायी गयी हैं। कोषागारों द्वारा सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 के समुचित रख-रखाव के अभाव में उक्त धनराशियाँ अभी तक अनिस्तारित चली आ रही हैं।

उक्त अनिस्तारित राशियों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी समीक्षा प्रतिवेदनों में भी किया गया था, जिनके निस्तारण हेतु शासन व विभागाध्यक्षों के स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती।

यह उल्लेख करना अति महत्वपूर्ण है कि लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। अतः शासन के स्तर पर प्रत्येक माह की 4 तारीख तक समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) खण्डों के खण्डीय अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु सभी कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के खण्डीय अधिकारियों को भी उपरोक्त लेखाशीर्ष में अनिस्तारित अवशेषों के निस्तारण के लिये दिशा-निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है। दीर्घ अवधि से लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा उचित नीति निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

वर्तमान में अप्रैल 2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)एक/2018/2019

दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार— लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार संबंधित लेखा संहिता "वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग vi" में भी संशोधन अपेक्षित है।

प्रस्तर-7: मासिक लेखों की प्रारम्भिक जाँच के दौरान पायी गयी सामान्य त्रुटियाँ:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय को भेजे गये मासिक लेखे सभी प्रकार से पूर्ण व सही होने चाहिए। यह देखा गया कि खण्डीय अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये गये मासिक लेखों में अनेकों प्रकार की विसंगतियाँ/कमियाँ पायी गयी जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:-

- i. प्रपत्र-80 की प्राप्ति एवं व्यय पक्षों की राशियों का मासिक लेखा के साथ संलग्न विभिन्न प्रपत्र जैसे-प्रपत्र-74, प्रपत्र-70, प्रपत्र-79 आदि की राशियों से मेल न होना।
- ii. प्रपत्र-80 में कैश बैलेन्स का प्रारम्भिक शेष पिछले माह के अन्तिम शेष से भिन्न होना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा नकदी के सत्यापन में समुचित सावधानी नहीं बरती गई। आई.एफ.एम.एस. से सृजित फार्म 80 में रोकड़ के आरम्भिक एवं अंतिम शेष के कॉलम नहीं बनाये गये हैं।
- iii. प्रपत्र-80 में प्राप्ति एवं व्यय पक्षों के योग में अन्तर पाया गया।
- iv. कतिपय लेखों के साथ फार्म (46A) प्राप्तियों का लेखा शीर्ष विवरण संलग्न नहीं किया गया।
- v. चालान लिस्ट के साथ चालान की प्रति प्रेषित नहीं की गई।
- vi. मासिक लेखों के साथ चालान सीधे कोषागार में जमा किए गए। राजस्व का विवरण संलग्न न होने के कारण इस कार्यालय के स्तर पर प्रेषण राशि की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः राजस्व प्रेषण का विवरण व चालान की प्रतियाँ संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

- vii. कुछ प्रकरणों में व्यय की प्रकृति भारित/दत्तमत को न दर्शाया जाने के कारण त्रुटिपूर्ण लेखांकन की सम्भावना बनी रहती है।
- viii. अधिकांश प्रकरणों में प्रपत्र-64 (निर्माण खर्च का शैड्यूल) के प्रगामी व्यय एवं आवंटित बजट के स्तम्भों को न भरने के कारण भुगतान आधिक्य की सम्भावना बनी रहती है।
- ix. वी0एल0सी0 द्वारा आवंटित कम्प्यूटर कोड की सील को मासिक लेखे पर न लगाये जाने से खण्डों की पहचान में असुविधा होती है।
- x. संशोधन के लिये तैयार की गयी अंतरण प्रविष्टि पर संख्या व माह का न दर्शाया जाना निर्धारित नियमों की अवहेलना है, जिससे लेखे की सत्यता संदिग्ध रहती है।
- xi. लेखाशीर्ष के अन्तर्गत 15 अंकीय वर्गीकरण सही रूप से अंकित न होने के कारण प्रायः वर्गीकरण की त्रुटियाँ प्रदर्शित होती हैं। अतः 15 अंकीय वर्गीकरण अनिवार्यतः अंकित किया जाना अपेक्षित है।
- xii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-67 ए (शैड्यूल ऑफ एम0पी0एस0एस0ए0) को संलग्न न किये जाने से स्टॉक उच्चत का सही आंकलन नहीं हो पाता है।
- xiii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-76 ए (शैड्यूल ऑफ सी0एस0एस0ए0) संलग्न नहीं किया जाता है जिससे लम्बित अवशेषों का सही आंकलन करने में असुविधा होती है।
- xiv. खण्डों द्वारा प्रायः बजट आवंटन की प्रत्याशा में व्यय कर दिया जाता है। बड़ी मात्रा में धनराशियों के व्यवर्तन के परिणामस्वरूप लेखांकन प्रक्रिया के मूल उद्देश्य हतोत्साहित होते हैं।

इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं/कमियों एवं विलम्बित प्रेषणों को संबंधित खण्डों की जानकारी में समय-समय पर लाया गया है। शासन से अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में खण्डीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही

करने हेतु निर्देशित करें तथा शासन स्तर से शुरू की गई सुधारात्मक कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को अवगत करायें।

प्रस्तर-8: प्रकीर्ण अग्रिम मद में धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित रहना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर-578 के अन्तर्गत प्रकीर्ण अग्रिम मद में वे ही धनराशियाँ दर्ज की जानी चाहिए जो उधार बिक्री, निक्षेप में प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय एवं हानियाँ, छटनी अथवा त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई हों तथा उनका निस्तारण समुचित अन्तिम को अन्तरण अथवा वसूली द्वारा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। वसूली न होने योग्य राशियों को बट्टे खाते में डालने के प्रयास किये जाने चाहिए।

विभिन्न निर्माण कार्य खण्डों के लेखाओं के अवलोकन पर पाया गया कि अभियन्त्रण विभागों के पुस्तकों में प्रकीर्ण अग्रिम मद में अत्यधिक धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित चली आ रही हैं, जिन खण्डों के विरुद्ध अनिस्तारित अवशेष लम्बित हैं उनका विवरण अनुलग्नक-7 में दर्शाया गया है। अतः उक्त लम्बित अवशेष के निस्तारण हेतु शासन एवं विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

द्वितीय-भाग

प्रस्तर-1: निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर निर्धारित समय तक न दिया जाना:-

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किये गये स्थानीय निरीक्षण प्रतिवेदनों के सभी प्रस्तरों का प्रथम उत्तर/अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रतिवेदनों के जारी करने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।

यह देखने में आया है कि वर्ष 2024-25 में अनेक खण्डों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर अनेक माह व्यतीत हो जाने पर भी लेखा परीक्षा कार्यालय को नहीं भेजे गए हैं। इस प्रकार प्रतिवेदनों का अनुत्तरित रहना निरीक्षण के उद्देश्य

को समाप्त कर देता है। अभियंत्रण विभागों में वर्ष 2024-25 के दौरान लेखाओं में पायी गयी अनियमित्तियों की सूचना निर्धारित समायान्तर्गत नहीं दिया है, अनुलग्नक-8 में दिया गया है।

प्रस्तर-2: स्थानीय निरीक्षण के दौरान पाई गयी महत्वपूर्ण अनियमितताएँ:-

अभियन्त्रण विभागों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2024-25 के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएँ पाई गयीं। महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची अनुलग्नक-9 में दी गयी

इन सभी प्रकरणों में वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।



वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन एवं निधि

अनुलग्नक-1(अ)

(प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)

विभाग एवं माहवार मासिक लेखे की स्थिति जिनके लेखे वर्ष 2024-25 में अप्राप्त अथवा विलम्ब से प्राप्त हुए:-

माह	सिंचाई विभाग	लघु सिंचाई खण्ड	लोक निर्माण	ग्रामीण निर्माण विभाग	योग
अप्रैल-2024	22	03	25	04	54
मई-2024	25	04	22	06	57
जून-2024	30	05	34	04	73
जुलाई-2024	28	02	29	04	63
अगस्त-2024	29	03	39	11	82
सितम्बर-2024	16	05	30	07	58
अक्टूबर-2024	29	04	26	06	65
नवम्बर-2024	40	04	42	10	96
दिसम्बर-2024	27	05	20	05	57
जनवरी-2025	28	05	34	07	74
फरवरी-2025	39	06	44	09	98
मार्च-2025	10	02	13	03	28
योग	323	48	358	76	805

अनुलग्नक 1 (ब)/(प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)

सिंचाई खण्डों द्वारा अप्राप्त/विलम्ब से प्रेषित

लेखों की सूची

अप्रैल-2024 से मार्च 2025

प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	आई. आर. डी.	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025
1.	001	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	10.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	13.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
2.	002	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	09.05.24	10.06.24	09.07.24	07.08.24	11.09.24	11.10.24	11.11.24	09.12.24	14.01.25	06.02.25	07.03.25	16.04.25
3.	003	लघु डाल खण्ड अल्मोड़ा	10.05.24	13.06.24				10.10.24	13.11.24	09.12.24	15.01.25	13.02.25	12.03.25	17.04.25
4.	031	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	10.05.24	11.06.24	12.07.24	14.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	12.03.25	09.04.25
5.	035	सिंचाई खण्ड, चमोली	07.05.24	10.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	13.12.24	10.01.25	14.02.25	10.03.25	15.04.25
6.	045	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, चम्पावत	07.05.24	10.06.24	12.07.24	12.08.24	06.09.24	14.10.24	08.11.24	13.12.24	08.01.25	12.02.25	10.03.25	21.04.25
7.	053	सिंचाई खण्ड, देहरादून	06.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	12.09.24	11.10.24	07.11.24	10.12.24	10.01.25	12.02.25	11.03.25	09.04.25
8.	054	सिंचाई खण्ड, कालसी	24.05.24	14.06.24	11.07.24	12.08.24	10.09.24	08.10.24	12.11.24	09.12.24	07.01.25	11.02.25	12.03.25	11.04.25
9.	055	नलकूप खण्ड, देहरादून	06.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	11.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
10.	056	अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून	10.05.24	07.06.24	10.07.24	12.08.24	13.09.24	08.10.24	11.11.24	10.12.24	14.01.25	11.02.25	07.03.25	11.04.25
11.	061	सिंचाई खण्ड, विकासनगर, देहरादून	15.05.24	14.06.24	10.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	11.11.24	16.12.24	07.01.25	10.02.25	17.03.25	08.04.25
12.	066	परियोजना खण्ड, देहरादून	09.05.24	09.06.24	08.07.24	13.08.24	10.09.24	11.10.24	05.11.24	03.12.24	10.01.25	07.02.25	07.03.25	11.04.25

13.	069	डाक पत्थर कालोनी एवं संचार खण्ड डाक पत्थर	06.05.24	10.06.24	11.07.24	13.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	11.12.24	09.01.25	12.02.25	13.03.25	09.04.25
14.	073	सिंचाई खण्ड रुड़की	09.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	11.11.24	13.12.24	10.01.25	03.02.25	10.03.25	10.04.25
15.	126	सिंचाई खण्ड हरिद्वार	08.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
16.	127	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश, देहरादून	09.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
17.	128	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	09.05.24	10.06.24	11.07.24	16.08.24	10.09.24	08.10.24	12.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	10.03.25	09.04.25
18.	129	नलकूप खण्ड रुड़की, हरिद्वार	08.05.24	13.06.24	12.07.24	12.08.24	13.09.24	11.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	07.02.25	12.03.25	08.04.25
19.	130	सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की	07.05.24	11.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	13.12.24	13.01.24	07.02.25	10.03.25	15.04.25
20.	131	परिकल्प खण्ड, रुड़की	07.05.24	11.06.24	10.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	11.11.24	16.12.24	13.01.25	10.02.25	17.03.25	17.04.25
21.	132	स्थापना खण्ड रुड़की	10.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	14.11.24	06.12.24	14.01.25	10.02.25	10.03.25	16.04.25
22.	133	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की	10.05.24	10.06.24	11.07.24	13.08.24	06.09.24	10.10.24	13.11.24	11.12.24	09.01.25	12.02.25	13.03.25	09.04.25
23.	135	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	10.05.24	10.06.24		13.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	09.12.24	13.01.25	07.02.25	06.03.25	12.04.25
24.	150	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	20.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
25.	151	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	10.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	16.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
26.	153	जमरानी डैम निर्माण खण्ड-3, हल्द्वानी, नैनीताल	20.05.24	10.06.24	11.07.24	16.08.24	10.09.24	08.10.24	12.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	10.03.25	21.04.25
27.	154	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल	07.05.24	13.06.24	12.07.24	12.08.24	13.09.24	10.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	07.02.25	12.03.25	21.04.25
28.	155	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	07.05.24	10.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	14.10.24	08.11.24	13.12.24	10.01.24	14.02.25	10.03.25	15.04.25
29.	170	सिंचाई खण्ड, दुर्गड्डा	07.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	11.11.24	16.12.24	14.01.25	10.02.25	17.03.25	08.04.25
30.	171	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	07.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	11.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	16.04.25
31.	172	नलकूप खण्ड, बाजपुर	10.05.24	14.06.24	11.07.24	13.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	11.12.24	09.01.25	12.02.25	13.03.25	17.04.25

32.	200	सिंचाई निर्माण खण्ड, पिथौरागढ़	07.05.24	07.06.24	16.07.24	16.08.24	10.09.24	08.10.24	12.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	10.03.25	09.04.25
33.	230	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	07.05.24			12.08.24	13.09.24	16.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	14.02.25	12.03.25	08.04.25
34.	240	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	-	09.05.24	13.06.24	08.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	13.12.24	10.01.24	07.02.25	10.03.25	15.04.25
35.	241	अवस्थापना/पुर्नवास खण्ड, नई टिहरी	-	-	-	16.08.24	10.09.24	16.10.24	12.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	10.03.25	23.04.25
36.	242	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर	-	09.05.24	10.06.24	12.08.24	13.09.24	10.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	11.02.25	12.03.25	08.04.25
37.	250	सिंचाई खण्ड, काशीपुर, उधम सिंह नगर	07.05.24	07.06.24	12.07.24	14.08.24	06.09.24	09.10.24	18.11.24	12.12.24	13.01.25	13.02.25	12.03.25	17.04.25
38.	251	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर, रुधम सिंह नगर	10.05.24	14.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	09.10.24	14.11.24	13.12.24	15.01.25	07.02.25	10.03.25	15.04.25
39.	260	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	10.05.24	10.06.24	12.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	13.12.24	08.01.25	12.02.25	10.03.25	15.04.25
40.	261	सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी	20.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	12.09.24	09.10.24	13.11.24	10.12.24	10.01.25	12.02.25	11.03.25	09.04.25
41.	262	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, जोशियाडा, उत्तरकाशी	20.05.24	10.06.24	11.07.24	12.08.24	10.09.24	08.10.24	07.11.24	09.12.24	07.01.25	11.02.25	12.03.25	11.04.25
42.	266	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	10.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	22.04.25
43.	270	नलकूप खण्ड, रामनगर	09.05.24	10.06.24	09.07.24	07.08.24	11.09.24	10.10.24	11.11.24	09.12.24	13.01.25	06.02.25	07.03.25	11.04.25
44.	271	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ	07.05.24	13.06.24				16.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	07.02.25	12.03.25	08.04.25
45.	272	सिंचाई खण्ड, धारचुला पिथौरागढ़	-	18.06.24	12.07.24	14.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	12.03.25	21.04.25
46.	273	सिंचाई खण्ड, कपकोट	10.05.24	10.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	13.12.24	16.01.25	07.02.25	10.03.25	23.04.25
47.	274	सिंचाई खण्ड, थराली, चमोली	07.05.24	10.06.24	12.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	13.12.24	08.01.25	12.02.25	10.03.25	15.04.25
48.	276	प्रशिक्षण परियोजना कुमाऊँ	10.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	12.09.24	09.10.24	07.11.24	10.12.24	10.01.25	12.02.25	11.03.25	24.04.25

49.	331	रुड़की सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०), अल्मोड़ा	10.05.24	10.06.24	11.07.24	12.08.24	10.09.24	08.10.24	07.11.24	09.12.24	07.01.25	11.02.25	12.03.25	11.04.25
50.	333	सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) बागेश्वर	22.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	16.01.25	10.02.25	10.03.25	16.04.25
51.	334	सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) नैनीताल	09.05.24	07.06.24	10.07.24	12.08.24	13.09.24	08.10.24	11.11.24	10.12.24	09.01.25	11.02.25	07.03.25	11.04.25
52.	335	सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०), चम्पावत	09.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	11.11.24	16.12.24	07.01.25	10.02.25	17.03.25	08.04.25
53.	336	सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी. एस.वाई.), श्री नगर पौड़ी गढ़वाल	-	11.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	17.04.25
54.	337	सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) कोटद्वार	-	14.06.24	11.07.24	13.08.24	06.09.24	10.10.24	13.11.24	11.12.24	09.01.25	12.02.25	13.03.25	09.04.25
55.		सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) पिथौरागढ़	-	18.06.24	10.07.24	12.08.24	13.09.24	11.10.24	11.11.24	10.12.24	09.01.25	11.02.25	07.03.25	11.04.25
56.	339	सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) रुद्रप्रयाग,	07.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
57.	341	सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) टिहरी	10.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	22.04.25
58.	342	सिंचाई खण्ड-2, लो०नि०वि०	09.05.24	10.06.24	09.07.24	07.08.24	11.09.24	10.10.24	11.11.24	09.12.24	13.01.25	06.02.25	07.03.25	11.04.25

71.	361	सिंचाईखण्ड, लो०नि०वि०-I (पी०एम०जी०एस०वाई० चिन्नालीसौड)	07.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
72.	362	सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) जमरानी डेम हल्द्वानी	10.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	22.04.25
73.	363	सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) श्रीनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.	268	सिंचाईखण्ड, लो०नि०वि०-II (पी०एम०जी०एस०वाई०) चम्बा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)

लघु सिंचाई खण्डों द्वारा अप्राप्त/विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची

अप्रैल-2024 से मार्च 2025

प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025
1.	लघु सिंचाई खण्ड तपोवन रोड, निकट ब्लॉक ऑफिस, रायपुर, देहरादून	17.05.24	12.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	11.10.24	08.11.24	13.12.24	10.01.25	07.02.25	10.03.25	21.04.25
2.	लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	20.05.24	10.06.24	12.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	13.12.24	08.01.25	12.02.25	10.03.25	15.04.25
3.	लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल	10.05.24	13.06.24	10.07.24	12.08.24	12.09.24	14.10.24	13.11.24	10.12.24	10.01.25	12.02.25	11.03.25	23.04.25
4.	लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	10.05.24	10.06.24	11.07.24	12.08.24	10.09.24	08.10.24	07.11.24	09.12.24	13.01.25	11.02.25	12.03.25	11.04.25
5.	लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी	07.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	12.10.24	08.11.24	06.12.24	14.01.25	10.02.25	10.03.25	17.04.25
6.	लघु सिंचाई खण्ड, गोपेश्वर, चमोली	10.05.24	11.06.24	11.07.24	02.08.24	09.09.24	11.10.24	11.11.24	10.12.24	21.01.25	10.02.25	12.03.25	15.04.25
7.	लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग		10.06.24	10.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	11.11.24	16.12.24	15.01.25	10.02.25	17.03.25	08.04.25

8.	401	लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	10.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
9.	500	लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी	09.05.24	10.06.24	11.07.24	13.08.24	06.09.24	10.10.24	13.11.24	11.12.24	09.01.25	12.02.25	13.03.25	09.04.25
10.	501	लघु सिंचाई खण्ड, चम्पावत	10.05.24	07.06.24	10.07.24	12.08.24	13.09.24	08.10.24	11.11.24	10.12.24	09.01.25	11.02.25	07.03.25	11.04.25
11.	600	लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	07.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	14.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
12.	601	लघु सिंचाई खण्ड, ऊधम सिंह नगर	07.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	23.04.25
13.	700	लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	10.05.24	11.06.24	11.07.24	16.08.24	10.09.24	08.10.24	12.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	10.03.25	09.04.25

अनुलग्नक 1 (ब)/(प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
लोक निर्माण खण्डों द्वारा अप्रप्त/विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
अप्रैल-2024 से मार्च 2025
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र० स०	कोड	खण्ड का नाम	अप्रैल 2024	मई 2024	जून 2024	जुलाई 2023	अगस्त 2024	सितम्बर 2024	अक्टूबर 2024	नवम्बर 2024	दिसम्बर 2024	जनवरी 2025	फरवरी 2025	मार्च 2025
1.	001	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	20.05.24	11.06.24	08.07.24	09.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
2.	002	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	20.05.24	10.06.24	09.07.24	07.08.24	11.09.24	10.10.24	11.11.24	09.12.24	13.01.25	06.02.25	07.03.25	21.04.25
3.	003	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत	10.05.24	13.06.24	-	--	-	11.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	07.02.25	12.03.25	08.04.25
4.	004	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत	09.05.24	14.06.24	12.07.24	09.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	12.03.25	09.04.25
5.	016	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर	24.05.24	14.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	11.10.24	08.11.24	13.12.24	10.01.25	07.02.25	10.03.25	15.04.25
6.	026	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर	09.05.24	10.06.24	12.07.24	09.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	13.12.24	08.01.25	12.02.25	10.03.25	15.04.25
7.	027	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग	20.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	12.09.24	09.10.24	07.11.24	10.12.24	10.01.25	12.02.25	11.03.25	09.04.25
8.	028	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ	08.05.24	10.06.24	11.07.24	09.08.24	10.09.24	14.10.24	07.11.24	09.12.24	07.01.25	11.02.25	12.03.25	11.04.25
9.	029	अस्थाई विद्युत यांत्रिक खण्ड, गोपेश्वर	14.05.24	13.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
10.	030	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० थराली	10.05.24	07.06.24	10.07.24	12.08.24	13.09.24	08.10.24	11.11.24	10.12.24	09.01.25	11.02.25	07.03.25	11.04.25
11.	031	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर	07.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	11.11.24	16.12.24	07.01.25	10.02.25	17.03.25	08.04.25

12.	045	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत	27.05.24	14.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
13.	046	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट	10.05.24	10.06.24	11.07.24	13.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	11.12.24	09.01.25	12.02.25	13.03.25	09.04.25
14.	051	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	07.05.24	10.06.24	12.07.24	12.08.24	10.09.24	-	14.11.24	10.12.24	08.01.25	07.02.25	25.03.25	11.04.25
15.	052	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० साहिया	10.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	14.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
16.	053	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता	09.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
17.	054	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	07.05.24	10.06.24	08.07.24	09.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	17.04.25
18.	055	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० डोईवाला	06.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
19.	056	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी, चमोली	10.05.24	11.06.24	12.07.24	13.08.24	10.09.24	11.10.24	08.11.24	03.12.24	17.01.25	12.02.25	12.03.25	15.04.25
20.	057	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर हरिद्वार	13.05.24	07.06.24	12.07.24	14.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	12.03.25	09.04.25
21.	071	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार	06.05.24	09.06.24	08.07.24	13.08.24	06.09.24	17.10.24	11.11.24	11.12.24	13.01.25	18.02.25	10.03.25	09.04.25
22.	072	वि० एवं यां खण्ड लो० नि० वि० ऋषिकेश	10.05.24	10.06.24	12.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	13.12.24	08.01.25	12.02.25	10.03.25	15.04.25
23.	073	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश	10.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	12.09.24	14.10.24	07.11.24	10.12.24	10.01.25	12.02.25	11.03.25	09.04.25
24.	075	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून	10.05.24	10.06.24	11.07.24	12.08.24	10.09.24	08.10.24	07.11.24	09.12.24	07.01.25	11.02.25	12.03.25	11.04.25
25.	091	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	20.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	16.04.25
26.	092	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	27.05.24	18.06.24	10.07.24	12.08.24	13.09.24	14.10.24	11.11.24	10.12.24	09.01.25	11.02.25	07.03.25	11.04.25
27.	093	निर्माण खण्ड,		09.06.24	12.07.24	09.08.24	09.09.24	09.10.24	05.11.24	09.12.24	29.01.25	12.02.25	10.03.25	11.04.25

28.	094	लो०नि०वि०, काशीपुर निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा	09.05.24	13.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
29.	095	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर	10.05.24	10.06.24	11.07.24	13.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	11.12.24	09.01.25	12.02.25	13.03.25	09.04.25
30.	096	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी	10.05.24	07.06.24	10.07.24	09.08.24	13.09.24	14.10.24	11.11.24	10.12.24	09.01.25	11.02.25	07.03.25	11.04.25
31.	098	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, भवाली	10.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
32.	100	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी	06.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	14.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
33.	120	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी	10.05.24	10.06.24	11.07.24	16.08.24	10.09.24	08.10.24	12.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	10.03.25	09.04.25
34.	121	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाऊन	09.05.24	09.06.24	12.07.24	14.08.24	13.09.24	-	11.11.24	10.12.24	09.01.25	12.02.25	10.03.25	14.04.25
35.	122	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० दुगड्डा	08.05.24	10.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	13.12.24	10.01.24	07.02.25	10.03.25	15.04.25
36.	123	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी	-	-	07.07.24	08.24	06.09.24	14.10.24	12.11.24	11.12.24	11.01.24	06.02.25	11.03.25	23.04.25
37.	124	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर	10.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	21.04.25
38.	125	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजराँ	21.05.24	10.06.24	09.07.24	07.08.24	11.09.24	14.10.24	11.11.24	09.12.24	13.01.25	06.02.25	07.03.25	11.04.25
39.	126	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर	10.05.24	13.06.24	-	-	-	10.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	07.02.25	12.03.25	08.04.25
40.	140	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़	-	07.06.24	12.07.24	14.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	12.03.25	09.04.25
41.	141	प्रान्तीय खण्ड,	20.05.24	10.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	14.10.24	08.11.24	13.12.24	10.01.25	07.02.25	10.03.25	15.04.25

58.	217	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट	09.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	14.04.25
59.	220	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की	-	10.06.24	09.07.24	07.08.24	11.09.24	14.10.24	11.11.24	09.12.24	13.01.25	06.02.25	07.03.25	11.04.25
60.	221	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट	09.05.24	13.06.24	-	-	-	10.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	07.02.25	12.03.25	08.04.25
61.	222	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट	10.05.24	13.06.24	12.07.24	14.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	12.03.25	21.04.25
62.	223	निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, नैनीताल	07.05.24	10.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	13.12.24	10.01.25	07.02.25	10.03.25	15.04.25
63.	224	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट	10.05.24	10.06.24	12.07.24	12.08.24	06.09.24	14.10.24	08.11.24	13.12.24	08.01.25	12.02.25	10.03.25	15.04.25
64.	225	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धुमाकोट	07.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	12.09.24	09.10.24	07.11.24	10.12.24	10.01.25	12.02.25	11.03.25	16.04.25
65.	227	वि० एवं यां खण्ड लो० नि० वि० बाजपुर	10.05.24	10.06.24	11.07.24	12.08.24	10.09.24	08.10.24	07.11.24	09.12.24	07.01.25	11.02.25	12.03.25	11.04.25
66.	228	निर्माण खण्ड, लो० नि०वि० अल्मोड़ा	06.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	17.04.25
67.	233	निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लो०नि०वि०, रुद्रपुर	07.05.24	07.06.24	10.07.24	12.08.24	13.09.24	08.10.24	11.11.24	10.12.24	09.01.25	11.02.25	07.03.25	11.04.25
68.	236	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून	20.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	06.09.24	10.10.24	11.11.24	16.12.24	07.01.25	10.02.25	17.03.25	23.04.25
69.	237	वि०/यां खण्ड, लो० नि० वि० भीमताल	08.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
70.	238	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो० नि० वि०, रानीखेत	10.05.24	10.06.24	11.07.24	13.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	11.12.24	09.01.25	12.02.25	13.03.25	09.04.25
71.	239	अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग गुप्तकाशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.	240	निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, पाबौ	07.05.24	07.06.24	10.07.24	12.08.24	13.09.24	08.10.24	11.11.24	10.12.24	09.01.25	11.02.25	07.03.25	22.04.25

73.	241	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर	-	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
74.	242	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	10.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	24.04.25
75.	243	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैण	07.05.24	09.06.24	09.07.24	06.08.24	06.09.24	10.10.24	11.11.24	06.12.24	08.01.25	12.02.25	10.03.25	15.04.25
76.	330	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, कालसी	07.05.24	13.06.24	12.07.24	12.08.24	13.09.24	10.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	07.02.25	12.03.25	08.04.25
77.	332	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, पोखरी	10.05.24	10.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	13.12.24	10.01.24	07.02.25	10.03.25	15.04.25
78.	340	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, सल्ट	06.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
79.	344	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, अल्मोडा	06.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
80.	338	निर्माण खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़	10.05.24	10.06.24	09.07.24	07.08.24	11.09.24	10.10.24	11.11.24	09.12.24	13.01.25	06.02.25	07.03.25	21.04.25
81.	346	निर्माण खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0, काठगोदाम	10.05.24	13.06.24	-	-	-	14.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	07.02.25	12.03.25	08.04.25
82.	347	पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0, सतपुली, कोटद्वार	07.05.24	07.06.24	12.07.24	14.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	12.12.24	13.01.25	07.02.25	12.03.25	22.04.25

83.	348	पीएमजीएसवाई, लोनिवि, नरेंद्र नगर	07.05.24	10.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	13.12.24	10.01.25	07.02.25	10.03.25	15.04.25
84.	355	पीएमजीएसवाई, लोनिवि, कीर्तिनगर	.05.24	10.06.24	12.07.24	12.08.24	06.09.24	14.10.24	08.11.24	13.12.24	08.01.25	12.02.25	10.03.25	15.04.25
85.	356	पीएमजीएसवाई, लोनिवि, द्वारहाट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.	357	पीएमजीएसवाई, लोनिवि, कर्णप्रयाग	07.05.24	10.06.24	10.07.24	12.08.24	12.09.24	09.10.24	07.11.24	10.12.24	10.01.25	12.02.25	11.03.25	23.04.25
87.		पीएमजीएसवाई, लोनिवि, धारचुला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

1.	010	ग्रामीण अल्मोड़ा	निर्माण	विभाग,	07.05.24	10.06.24	08.07.24	09.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	21.04.25
2.	020	ग्रामीण बागेश्वर	निर्माण	विभाग,	07.05.24	10.06.24	09.07.24	07.08.24	11.09.24	10.10.24	11.11.24	09.12.24	13.01.25	06.02.25	07.03.25	11.04.25
3.	030	ग्रामीण चमोली	निर्माण	विभाग,	09.05.24	12.06.24	-	-	-	10.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	07.02.25	12.03.25	23.04.25
4.	040	ग्रामीण रूद्रप्रयाग	निर्माण	विभाग,	10.05.24	11.06.24	10.07.24	12.08.24	10.09.24	17.10.24	11.11.24	12.12.24	17.01.25	07.02.25	06.03.25	12.04.25
5.	050	ग्रामीण देहरादून	निर्माण	विभाग,	09.05.24	11.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	11.10.24	08.11.24	13.12.24	13.01.25	07.02.25	10.03.25	24.04.25
6.	060	ग्रामीण हरिद्वार	निर्माण	विभाग,	06.05.24	09.06.24	10.07.24	12.08.24	13.09.24	10.10.24	10.11.24	11.12.24	08.01.25	21.02.25	07.03.25	15.04.25
7.	070	ग्रामीण नैनीताल	निर्माण	विभाग,	07.05.24	10.06.24	10.07.24	09.08.24	12.09.24	11.10.24	07.11.24	10.12.24	10.01.25	12.02.25	11.03.25	16.04.25
8.	080	ग्रामीण (वि०/या०) देहरादून	निर्माण	विभाग,	08.05.24	11.06.24	11.07.24	12.08.24	10.09.24	08.10.24	07.11.24	09.12.24	07.01.25	11.02.25	12.03.25	11.04.25
9.	090	ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी	निर्माण	विभाग,	20.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	17.04.25
10.	100	ग्रामीण चम्पावत	निर्माण	विभाग,	10.05.24	07.06.24	10.07.24	12.08.24	13.09.24	14.10.24	11.11.24	10.12.24	09.01.25	11.02.25	07.03.25	11.04.25
11.	110	ग्रामीण पिथौरागढ़	निर्माण	विभाग,	10.05.24	10.06.24	10.07.24	09.08.24	06.09.24	10.10.24	11.11.24	16.12.24	07.01.25	10.02.25	17.03.25	24.04.25
12.	130	ग्रामीण निर्माण विभाग, टिहरी	निर्माण	विभाग,	10.05.24	11.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	14.10.24	08.11.24	06.12.24	13.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
13.	150	ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर	निर्माण	विभाग,	10.05.24	10.06.24	11.07.24	13.08.24	06.09.24	10.10.24	08.11.24	11.12.24	14.01.25	12.02.25	13.03.25	09.04.25
14.	170	ग्रामीण उत्तरकाशी	निर्माण	विभाग,	07.05.24	07.06.24	10.07.24	12.08.24	13.09.24	11.10.24	11.11.24	10.12.24	09.01.25	11.02.25	07.03.25	16.04.25
15.	180	ग्रामीण कोटद्वार	निर्माण	विभाग,	20.05.24	10.06.24	08.07.24	09.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25

16.	190	ग्रामीण घनसाली	निर्माण विभाग,	08.05.24	06.06.24	04.07.24	07.08.24	10.09.24	09.10.24	08.11.24	06.12.24	09.01.25	10.02.25	10.03.25	07.04.25
17.	200	ग्रामीण (अस्थाई), डीडीहाट	निर्माण विभाग,	10.05.24	09.06.24	09.07.24	06.08.24	06.09.24	10.10.24	11.11.24	06.12.24	08.01.25	12.02.25	10.03.25	15.04.25
18.	210	ग्रामीण (अस्थाई), भिकियासेन	निर्माण विभाग,	09.05.24	10.06.24	12.07.24	12.08.24	13.09.24	10.10.24	13.11.24	09.12.24	10.01.25	07.02.25	12.03.25	17.04.25
19.	220	ग्रामीण (पीएमजीएसवाई), कर्णप्रयाग	निर्माण विभाग,	20.05.24	14.06.24	08.07.24	08.08.24	06.09.24	09.10.24	08.11.24	13.12.24	10.01.24	07.02.25	10.03.25	15.04.25
20.	230	ग्रामीण (पीएमजीएसवाई), डीडीहाट	निर्माण विभाग,	10.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	14.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25
21.	240	ग्रामीण पीएमजीएसवाई), कपकोट	निर्माण विभाग,,	27.05.24	10.06.24	08.07.24	16.08.24	11.09.24	08.10.24	12.11.24	11.12.24	08.01.25	10.02.25	12.03.25	13.04.25

अनुलग्नक-2

(प्रस्तर-3 के सन्दर्भ में)

2024-25 के अंत में सिंचाई खण्डों के जमा के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष ।

क्रमांक	वी0एल0सी0 कोड	खण्ड का नाम	अवशेष (धनराशि रु.में)
1.	055	नलकूप खण्ड देहरादून	-16199603.74
2.	069	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	-8868718.14
3.	129	नलकूप खण्ड, रुड़की	-305365.00
4.	135	अवस्थापना खण्ड (पुनर्वास), ऋषिकेश	-27676593.00
5.	073	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश	-220525318.00
6.	236	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून	-95279583
7.	053	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 चकराता	-30655054.36
योग			(-)399510235.24

अनुलग्नक-3

(प्रस्तर-4 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के समाप्ति पर नकद परिशोधन उचन्त लेखे में लम्बित बड़ी मात्रा में धनराशियों का खण्डवार विवरण:-

क्रम सं०	खण्ड का नाम	धनराशि रु.में
1.	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल ।	1515872.00
2.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी ।	750610.22
3.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर ।	2541214.35
4.	नलकूप खण्ड, बाजपुर।	5686536.00
5.	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी ।	489437.00
6.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल ।	296560.72
7.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उखीमठ ।	75487.62
8.	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल ।	4650739.87
योग		16006457.78

अनुलग्नक-4

(प्रस्तर-5 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के समाप्ति पर सामग्री क्रय परिशोधन उच्चत लेखे में लम्बित बड़ी मात्रा में धनराशियों का खण्डवार विवरण:-

क्रम सं०	खण्ड का नाम	धनराशि रु.में
1.	अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून ।	23848095
2.	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी ।	742569
3.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी ।	68822
4.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	199492
5.	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल ।	856098.15
6.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल ।	91933
7.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उखीमठ, रुद्रप्रयाग ।	33300
8.	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल ।	459000.00
योग		26299309.15

अनुलग्नक-5

(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-1 में अनिस्तारित रोकड़ (Cash)की सूची:-

चालानों की संख्या	अवधि	कुल धनराशि (रु.)
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, साहिया कालसी ।		
29	नवम्बर 2007 से मार्च 2019 तक	-171954.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर ।		
03	दिसम्बर 2012 से जुलाई 2016 तक	3465434.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा ।		
02	दिसम्बर 2014 से जुलाई-2016 तक	4884100.00
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर ।		
09	जनवरी 2007 से नवम्बर 2018 तक	4515678.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट ।		
26	अप्रैल-2008 से सितम्बर-2013 तक	27627022.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग ।		
04	जनवरी 2001से मई 2013 तक	1192180.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा ।		
07	दिसम्बर-2015 से दिसम्बर-2018 तक	-4819740.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर ।		
14	अगस्त-2001 से फरवरी-2018 तक	-8601651.00
निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी ।		
17	फरवरी-2016 से दिसम्बर-2018 तक	-668.00

विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून ।		
09	मार्च-2014 से मार्च-2019 तक	1661980.00
विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भीमताल ।		
04	अप्रैल-2018 से मार्च-2019 तक	-688895.00
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर ।		
01	मार्च-2019	8850.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली ।		
21	जुलाई-2003 से मार्च-2019 तक	-12903215.00

नोट: उपरोक्त अनिस्तारित रोकड मार्च 2019 तक की दर्शायी गयी है। चूंकि सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार -लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को समाप्त कर दिया गया।

अनुलग्नक-6

(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-2 में अनिस्तारित चैकों (Cheque) की सूची:-

चैकों की संख्या	अवधि	कुल धनराशि रु.)
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर ।		
12	जून-2006 से जून-2016 तक	185470.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा ।		
11	मार्च-2003 से फरवरी-2015 तक	-53066.00
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर ।		
04	फरवरी-2008 से मार्च-2017 तक	10168.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट ।		
25	जनवरी-2003 से मार्च 2014 तक	1556508.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग ।		
07	मार्च-2009 से फरवरी-2013	69761.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा ।		
06	नवम्बर-2011 से मार्च-2017 तक	13101.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर ।		
17	अक्टूबर-2007 से मई-2017 तक	22417.00
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट ।		
05	अगस्त-2008 से अक्टूबर-2013 तक	35742.00
निर्माण खण्ड-2 (ए0डी0बी0), लो0नि0वि, अल्मोड़ा ।		
01	मार्च-2013	10000.00

निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी ।		
02	मार्च-2014 से मई-2017 तक	28461.00
विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून ।		
10	जून-2013 से सितम्बर- 2016	80853.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर ।		
03	जनवरी-2007 से नवम्बर-2014 तक	5707.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली ।		
01	अक्टूबर-2001	9447.00

नोट: उपरोक्त अनिस्तारित चैक मार्च 2019 तक के दर्शाये गये हैं। चूंकि सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार -लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को समाप्त कर दिया गया।

अनुलग्नक-7
(प्रस्तर-8, भाग-1 के सम्बन्ध में)

31 मार्च 2019 तक के विभिन्न प्रखण्डों के विरुद्ध लम्बित प्रकीर्ण अग्रिम जिनका निस्तारण किया जाना है:-

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	धनराशि (रु.में)
1.	निर्माण खण्ड , लो0नि0वि0, रुड़की ।	124263
2.	रा0रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत ।	15112
3.	ग्रामीण निर्माण विभाग, उधम सिंह नगर ।	655453
4.	ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली ।	902668.36
5.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, डीडीहाट ।	4695560.71
6.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ।	369065.37
7.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा ।	1785828
8.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर ।	2990368.57
9.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा ।	3239212.76
10.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट ।	23376215
11.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट ।	20655349
12.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत ।	3354538.36
13.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया ।	4502201
14.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर ।	8064763
15.	ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।	72386
16.	ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी ।	1220564

17.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर, चमोली ।	7995860.31
18.	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल ।	988133.87
19.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग ।	2181659.80
20.	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर, चमोली ।	398565
21.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी ।	7841320
22.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजराँ ।	31232930
23.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर ।	2828558
24.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी ।	9011004
25.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी ।	5893203
26.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार ।	10027077.27
27.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड ।	4061735.80
28.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत ।	1135098
29.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ ।	2623242.38
30.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली ।	8758135
31.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून ।	9091122
32.	रा0रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट ।	3977050
33.	रा0रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून ।	1152670.19
34.	रा0रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट ।	161382
35.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला ।	6785431
36.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैण ।	1377756
37.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी ।	8044218
38.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट ।	5948627
39.	ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी ।	53854.16

40.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर ।	2813820
41.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून ।	379933
42.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी ।	2010269
43.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी ।	21526160
44.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर ।	5053530
45.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर ।	6885060
46.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली ।	280318
47.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट ।	2068355
48.	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश ।	819816.59
49.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी ।	4986189
50.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा ।	13309065
51.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौडी ।	3251400
52.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग ।	12448513
53.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा ।	6194501
54.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता ।	8166712
55.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल ।	3562645
56.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश ।	5170594
57.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली ।	3812551.11
58.	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, बाजपुर ।	94314
59.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग	1751629
60.	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून ।	144249
61.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल ।	6332395
62.	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर ।	540219

63.	सिंचाई खण्ड, चमोली ।	186056.83
64.	नलकूप खण्ड, देहरादून ।	3874518
65.	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून ।	34490027
66.	सिंचाई खण्ड, कालसी देहरादून ।	4974936.76
67.	परियोजना खण्ड देहरादून ।	1264381.08
68.	संचाई खण्ड, हरिद्वार ।	4494000.16
69.	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड ऋषिकेश ।	16692080
70.	परियोजना खण्ड ऋषिकेश ।	241928772
71.	नलकूप खण्ड, रुड़की ।	83687.70
72.	स्थापना खण्ड रुड़की ।	481203
73.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की ।	10174906
74.	सिंचाई खण्ड, सितारगंज ।	255072
75.	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी ।	37276
76.	सिंचाई निर्माण खण्ड, पिथौरागढ़ ।	693860
77.	लघु सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा ।	16470
78.	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा ।	1972818
79.	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर गढ़वाल ।	136891.16
80.	नलकूप खण्ड, बाजपुर ।	242756.55
81.	सिंचाई खण्ड, पुरोला ।	628599
82.	सिंचाई खण्ड, देहरादून ।	1239417
83.	लघु सिंचाई खण्ड देहरादून ।	36351
84.	लघु सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़ ।	2373787
85.	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी ।	489296

86.	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर देहरादून ।	5648452.94
87.	परिकल्प खण्ड रुड़की ।	8642
88.	सिंचाई खण्ड, थराली ।	1435176
89.	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड नई टिहरी ।	6077562.24
90.	लघु सिंचाई खण्ड नैनीताल ।	749207.55
91.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी ।	4379649.69
92.	लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी ।	2166407
93.	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग ।	406910.26
94.	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर ।	676620.88
95.	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा ।	924963

अनुलग्नक-8

(प्रस्तर-1, भाग-2 के सन्दर्भ में)

अभियन्त्रण विभागों में वर्ष 2024&25 के दौरान लेखाओं में पायी गयी अनियमित्तयों की सूचना

क्र.स.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा आपत्ति	धनराशि (₹)
1	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर	पूँजीगत परिव्यय को राजस्व परिव्यय के निर्माण मरम्मत कार्य पर व्यय करना।	3,97,741
2	अधिशाली अभियंता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया	मार्च 2024 के मासिक लेखों के वाउचर में भूमि अधिग्रहण के देयकों मार्गों के रखरखाव मद पर पारित किया जाना।	42,420
3	अधिशाली अभियंता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया	अनुरक्षण मद से भवन सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण कर धनराशि का व्ययवर्तन	26,468
4	अधिशाली अभियंता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया	Interlock टाइल्स के कार्य लागत ₹4,13,323 के कार्य को वार्षिक अनुरक्षण मद के अंतर्गत patch रिपेयर मद पर भारित कर व्ययवर्तन करना	4,13,323
5	अधिशाली अभियंता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया	भूस्खलन मद में प्रस्तावित सुरक्षा दीवार की लागत को मार्गों के अनुरक्षण के अंतर्गत Renewal मद पर भारित कर व्ययवर्तन किया जाना	7,54,674
6	अधिशाली अभियंता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया	SDRF में प्रस्तावित भूस्खलन से क्षतिग्रस्त रोबियन्स द्वारा निर्माण/पुनः निर्माण कार्य को वार्षिक अनुरक्षण मद के अंतर्गत patch रिपेयर मद पर भारित का व्ययवर्तन किया जाना	3,43,876

7	अधिशाली अभियंता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया	रा. हा. स्कूल अखाड़ी के सुदृढीकरण के कार्य के अंतर्गत form 65 के अनुसार स्वीकृत लागत ₹37.85 लाख के विरुद्ध ₹37.93 लाख भारित करना। अन्य कार्य में खण्ड द्वारा 8028.80 का व्ययवर्तन	8,028
8	अधिशाली अभियंता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया	194 J के अंतर्गत 10% आयकर कटौती की जानी है। फॉर्म विलंब से समाप्त करने पर अर्थदण्ड न काटा जाना	179199,
9	अधिशाली अभियंता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया	सभी वाउचर के निर्माण कार्य में धनराशि का व्ययवर्तन किया जाना	413640, 17164, 59940, 390504
10	अधिशाली अभियंता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया	कंप्यूटर ऑपरेटर की आपूर्ति से संबंधित ₹18,880 के व्यय एवं ₹18,880 के व्यय को ग्राम नयारा हेतु लंबी मोटर मार्ग के नवनिर्माण के कार्य पर भारित कर कार्य की बचत का दुरुपयोग करना	18,880/
11	अधिशाली अभियंता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया	मसूरी चकराता रा. व. मार्ग से गोई धनास मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य को टुकड़ों में तोड़कर नींव पारित करना	12631000
12	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून	विशेष मरम्मत मद के अंतर्गत दौडवाला नहर के हैड का सुरक्षात्मक कार्य का भवन अनुरक्षण पर भारित कर व्ययवर्तन करना	19,94,791
13	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून	ISBT से रिस्पना बाइपास पर स्थित ROB के निर्माण से क्षतिग्रस्त अजबपुर माइनर के फुलान 25 में शाखा गुल का पुनः निर्माण के प्राक्कलन ₹98,958 का भवन अनुरक्षण मद पर भारित कर व्ययवर्तन करना	98,958
14	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून	विशेष मरम्मत के अंतर्गत दौडवाला नहर के हैड का सुरक्षात्मक कार्य का भवन अनुरक्षण पर भारित कर व्ययवर्तन करना	97,512
15	अधिशाली अभियंता,	बालावाला नहर के अलावा 05 में विभिन्न	1,99,869

	सिंचाई खण्ड, देहरादून	चीजों पर मरम्मत एवं पुनः निर्माण कार्यों की भवन अनुरक्षण मद पर भारित कर व्ययवर्तन करना	
16	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून	बालावाला नहर का कार्य भवन अनुरक्षण मद पर भारित कर व्ययवर्तन करना	1,49,868
17	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून	बालावाला नहर का कार्य भवन अनुरक्षण मद पर भारित कर व्ययवर्तन करना	1,49,694
18	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून	विशेष मरम्मत मद से बुटीपुर नहर के मजरी माफी का मरम्मत कार्य भवन अनुरक्षण मद पर भारित कर व्ययवर्तन करना	2,02,515
19	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून	जोगीवाला माफी में जाखन नदी के कटाव के रोकथाम के लिए बाढ़ सुरक्षा के कार्य को नाबार्ड मद पर भारित कर व्ययवर्तन करना	4,98,542
20	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून	जोगीवाला माफी में जाखन नदी के कटाव के रोकथाम के लिए बाढ़ सुरक्षा के कार्य को नाबार्ड मद पर भारित कर व्ययवर्तन करना	4,95,523
21	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून	साहब नगर डांडी गाँव की सुरक्षा हेतु सोंग नदी पर कटाव रोकथाम हेतु सुदगलफ फॉर्म को नाबार्ड मद पर भारित कर व्ययवर्तन करना	4,99,757
29	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, रुड़की	फर्नीचर जेम पोर्टल से क्रय नहीं किया गया रोयल्टी की कटौती कम की गयी हैड ऑफ अकाउंट अंकित नहीं है GST जमा न करने का कारण मासिक लेखा में संलग्न नहीं है।	2,00,000 DMF की कटौती न किया जाना।

अनुलग्नक-9

(प्रस्तर-2, भाग-2 के सन्दर्भ में)

लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2024 & 25 के दौरान लेखाओं में पायी गयी महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमित्तयों की सूचना

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	खंड का नाम	महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितता एवं धनराशियाँ
AIR No -32 2024-25	कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	1. OBS-1871521: Payment to contractor amounting to Rs. 3.80 crore without third party inspection of the work. 2. OBS-1871503: Due to change in design specification, incomplete work after expenditure of total sanctioned amount Rs. 873.91 lakh. 3. OBS-1871692: Non-recovery of royalty and penalty for illegal use of mining material amounting to Rs. 3.96 Cr and Rs. 1.25 Cr respectively. 4. OBS-1871585: Irregular award of work and payment to contractors amounting to Rs. 11.68 crore without measurement of works.
AIR No -29 2024-25	कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण खंड, उखीमठ	1. OBS-1787969: संविदाकारों को 10.90 करोड़ भुगतान की गयी अतिरिक्त जीएसटी की धनराशि के राजकोष में जमा होने का सत्यापन राज्य कर विभाग से न कराया जाना। 2. OBS-1787462: संविदाकारों के 668.03 लाख देयकों से खनन नीति के नियमों के अनुसार अर्थ दण्ड (रॉयल्टी) की कटौती न किया जाना रु। 3. OBS-1787988: बचत धनराशि रु. 525.58 लाख का समर्पण न करके अन्य अस्वीकृत कार्यों पर अनियमित व्यय I
AIR No -20 2024-25	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	1. OBS-1769244: अधिप्राप्ति नियमावली में प्रदत्त निविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करते हुये रु. 673.54 लाख के निर्माण कार्य का अनियमित अनुबंध गठन एवं देयता सृजना। 2. OBS-1772963: रु 2.71 करोड़ की बचत धनराशि का समर्पण नहीं करके अन्य कार्यों पर अनियमित व्यय किया जाना।

AIR No -19 2024-25	Executive Engineer PD, PWD Bhatwari.	1. OBS-1801959: संविदाकारों के देयकों से खनन नीति के नियमों के अनुसार रु 450.35 लाख अर्थदण्ड (रॉयल्टी) की कटौती न किया जाना। 2. OBS-1801523: उत्तरकाशी जनपद में राज्य योजना के तहत भागीरथी नदी पर लाटा में 100 मीटर स्पान लौह सेतु निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत ₹250 लाख under Special Assistance Scheme by central Government (SAS) की राशि में से ₹ 107.91 लाख का अन्य कार्यों में उपयोग
AIR No -21 2024-25	Executive Engineer TD, PWD, Sahiya.	1. OBS-1836820: न्यायालय अनावसीय निर्माण कार्य का अधिक दरो पर अनुबन्ध गठित करके संविदाकार फर्म को रु. 97.02 लाख अधिक भुगतान किया जाना। 2. OBS-1836894: रु. 65.39 लाख अग्रिम धनराशि की वसूली नहीं किया जाना। 3. OBS-1836915: संविदाकारों से खनिज नीति एवं अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण नियमावलियों के नियमों अनुसार अर्थदण्ड (रॉयल्टी) की वसूली कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण रु 252.40 लाख की हानि।